A

IN THE COURT OF SESSIONS JUDGE, KOTA

Present : SATYANARAYAN VYAS
Date of the Judgement:
Cr.Appeal No. - 584/2019
CNR No. - RJKT010075332019
FIR No.- 451/2001 PS Vigyan Nagar Kota
Under Sections -379 भारतीय दण्ड संहिता

Appellant	रमेशचन्द पुत्र प्रेमचन्द्र, निवासी राधेश्याम मन्दिर की गली भवानीमण्डी जिला झालावाड़ (राजस्थान)
Represented by	श्री शिवनारायण नागर, विद्वान अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
Rrespondent	स्टेट ऑफ राजस्थान
Represented by	श्री मनोज पुरी, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य

दाण्डिक अपील विरूद्ध निर्णय व दण्डादेश दिनांक 31.10.2019 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर) कोटा, पीठासीन अधिकारी श्रीमति गरिमा बंसल, आर.जे.एस. फौजदारी प्रकरण संख्या-332/2006 (सीआईएस नं.-25059/2014) शीर्षक राजस्थान राज्य बनाम रमेशचन्द व अन्य जिसके माध्यम से अपीलार्थी अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित कर दण्डादिष्ट किया गया।

B

Date of Offence	10.9.2001
Date of FIR	11.9.2001
Date of Charge sheet	19.8.2002
Date of Framing of Charges by trial court	05.11.2003
Date of commencement of evidence	19.6.2004
Date on which judgment is reserved	NIL
Date of the Judgment by trial court	31.10.2019
Date of the Sentencing Order, if any	31.10.2019
Argument on Appeal	04.6.2026
Judgement on Appeal	09.6.2026

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
P.W.1	मुजाहिद हुसैन	नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.2	रियाजुद्दीन	नक्शा मौका घटनास्थल
P.W.3	शब्बीर हुसैन	फरियादी
P.W.4	मोह.हारून	चक्षुदर्शी साक्षी
P.W.5	सूरज सिंह	अनुसंधान अधिकारी (द्वितीय)
P.W.6	हेमराज	फर्द बरामदगी मोटरसाइकिल,नक्शा बरामदगीस्थल
P.W.7	रामेश्वर परिहार	एफआईआर कता कर्ता,अनुसंधान अधिकारी (प्रथम)
P.W.7 पुनः	राजेश कुमार	फर्द बरामदगी मोटरसाइकिल,नक्शा बरामदगीस्थल

B. Defence Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

C. Court Witnesses, if any:

Rank	Name	Nature of Evidence(Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
निल	निल	निल

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

S.No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी-1	नक्शा मौका घटनास्थल
2	प्रदर्श पी-2	तहरीरी रिपोर्ट

3	प्रदर्श पी-3	रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल
4	प्रदर्श पी-5	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रमेशचन्द
5	प्रदर्श पी-6	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त इलियास
6	प्रदर्श पी-7	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.अभियुकत रमेशचन्द
7	प्रदर्श पी-8	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.अभियुकत इलिया
8	प्रदर्श पी-9	फर्द बरामदगी मोटरसाइकिल
9	प्रदर्श पी-10	नक्शा बरामदगीस्थल

Defence Exhibit:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

C. Court Exhibits:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

D. Material Objects:

S.No.	Exhibit Number	Description
निल	निल	निल

अपीलार्थी अभियुक्त रमेशचन्द की ओर से यह दाण्डिक अपील, विद्वान विचारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 (उत्तर) कोटा के निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 31.10.2019 के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें अपीलार्थी अभियुक्त को धारा 379 भादस के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर तीन वर्ष के साधारण कारावास एवं 1,000/-रुपये अर्थदण्ड अदम अदायगी अर्थदण्ड एक माह का साधारण कारावास से दण्डित किया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 11.9.2001 को फरियादी शब्बीर हुसैन ने थानाधिकारी पुलिस थाना विज्ञान नगर कोटा के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 इस आशय की पेश की कि दिनांक 10.9.2001 को समय करीब 12.30 बजे दिन में श्रीपुरा से डॉ.गोयल विज्ञान नगर के यहां उसकी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्प्लेण्डर नम्बर आरजे 20 7एम 4280 से आया था। उसने उसकी गाड़ी डॉक्टर गोयल के बाहर लॉक करके खड़ी करी थी। वह डॉक्टर साहब को दिखाने अन्दर गया था। करीब 20 मिनट बाद बाहर आया तो उसकी

गाड़ी नहीं मिली। ना मालुम कौन चुराकर ले गया। उसकी मोटरसाइकिल को काफी तलाश किया किन्तु नहीं मिली ....इत्यादि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-451/2001 पंजीबद्ध होकर बाद अनुसंधान प्रकरण में आरोप पत्र अपीलार्थी अभियुक्त एवं एक अन्य अभियुक्त इलियास के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी अभियुक्त रमेशचंद को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप विरचित कर सुनाया गया। दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहान पी.डब्ल्यू.-1 लगायत पी.डब्ल्यू.-8 के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-10 प्रलेख प्रदर्शित कराये गये। (यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी-4 प्रदर्श नहीं डाला गया है)। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये, जिनमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा कथन किया कि उसे झूठा फंसाया गया है। अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में कोई मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी अभियुक्त एवं सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी जाकर प्रकरण को निस्तारित करते हुये दिनांक 31.10.2019 को अपीलार्थी अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्तानुसार निर्णय व दण्डादेश पारित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में सहअभियुक्त इलियास मोहम्मद का निर्णय दिनांक 25.02.2020 को पृथक से पारित किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश विधि एवं संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दण्डादिष्ट करने में भारी त्रुटि की है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर आई साक्ष्य का सही विवेचन किए बिना ही अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-379 में दोषी मानने में गंभीर त्रुटि की है। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.-5 सूरज सिंह अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर अपीलार्थी मुलजिम के सम्बंध में कोई साक्ष्य न होते हुऐ भी उसे किसी अन्य प्रकरण में गिरफ्तार होने के आधार पर गिरफ्तार किया, लेकिन अनुसंधान अधिकारी द्वारा पुलिस थाना भवानीमण्डी में जैरकार प्रकरण मुकदमा सख्या-176/02 अन्तर्गत धारा-379 के आईओ से कोई सूचना प्राप्त नहीं की ना ही उक्त प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को प्रकरण में साक्ष्य लेकर गवाह बनाया गया। इस प्रकार से अपीलार्थी के विरूद्ध गिरफ्तारी से पूर्व कोई साक्ष्य न होने से अपीलार्थी प्रकरण में संदेह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी था। प्रकरण

में जप्ती के दोनों गवाह पी.डब्ल्यू.-6 हेमराज, पी.डब्ल्यू.-7 राजेश दोनों पुलिस के सिपाही है तथा अनुसंधान अधिकारी के अधीनस्थ हैं। जप्ती से पूर्व स्थानीय व्यक्ति को प्रकरण में गवाह नही बनाया गया है, जबकि मुताबिक अनुसंधान अधिकारी जप्ती बस्ती के अन्दर से की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जप्ती अधिकारी द्वारा स्वतन्त्र साक्ष्य को न लेकर अपने हितबद्ध सिपाही को गवाह बनाकर जप्ती की है, जो दोषपूर्ण है। उनका यह भी तर्क रहा है कि पुलिस थाना विज्ञान नगर से जप्ती स्थल करीब 110 किलोमीटर दूर है। इस सम्बंध में कोई रोजनामचा रपट या लॉग बुक, रवानगी आमद पी.डब्ल्यू.-6 व 7 की पत्रावली पर अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत नही की गयी है ना ही सूचना के आधार पर अनुसंधान अधिकारी द्वारा थाना हाजा से भवानीमण्डी जाने के बाबत कोई रेल्वे वारंट या अन्य दस्तावेज ही पेश किये है, इससे अभियोजन की साक्ष्य दोषपूर्ण हो जाती है। अपीलार्थी घटना के समय 20 वर्ष की आयु का था तथा उसके विरूद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नही रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को विचारण न्यायालय द्वारा 21 वर्ष से कम आयु का होने के कारण धारा-360 जाब्ता फौजदारी के तहत लाभ दिया जाना चाहिए था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा वक्त निर्णय अभियुक्त की आयु 21 वर्ष से अधिक होने के आधार पर उक्त लाभ न दिये जाने में कानूनी त्रुटि की है जबकि घटना के समय ही अभियुक्त की आयु का निर्धारण किया जाना चाहिए था और अभियुक्त को 21 वर्ष से कम होने के आधार पर प्रोबेशन एवं धारा 360 जाब्ता फौजदारी के तहत लाभ प्रदान किया जाना चाहिए था। अन्त में अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांकित 31.10.2019 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा जो आक्षेपित आदेश पारित किया गया है उसमें पत्रावली पर आई साक्ष्य का विवेचन करते हुए पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय व दण्डादेश को पुष्ट करते हुये अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

5. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया एवं विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण के निर्णय हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु उत्पन्न होता हैः-

> क्या अभियुक्त ने दिनांक 10.9.2001 को 12.30 बजे डॉक्टर गोयल के मकान के बाहर से परिवादी शब्बीर की मोटरसाइकिल नम्बर आरजे 20 7 एम 4280 को बिना उसकी सहमति से बेईमानीपूर्वक आशय से ले जाकर चोरी की ?

6. इस संबंध में पत्रावली पर आई साक्ष्य को देखा जाए तो उपरोक्त विचारणीय बिन्दु को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह परीक्षित कराये गये है जिनमें से गवाह अभियोजन साक्षी संख्या-1 मुजाहिद हुसैन ने सशपथ कथन किये हैं कि नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 उसके सामने बनाया हो तो ध्यान नहीं है। नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका किस बाबत बनाया आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह को अभियोजन पक्ष की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया।

7. दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी गवाह ने इस तथ्य से अनभिज्ञता प्रकट की है कि नक्शा मौका चोरी बाबत बनाया हो। यह गलत है कि वह मुलजिम से मिलकर झूंठे बयान दे रहा हो। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

8. अभियोजन साक्षी संख्या-2 रियाजुद्दीन ने सशपथ कथन किये हैं कि आज से 3 वर्ष पहले शब्बीर हुसैन की मोटरसाइकिल जहां से चोरी हुई थी उस स्थान का नक्शा मौका बनाया था। डॉ.गोयल के मकान का नक्शा मौका बनाया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी-1 पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष नक्शा मौका ही बनाया था।

9. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि गाड़ी चोरी जिस व्यक्ति की हुई थी वह उसका मिलने वाला है। वे साथ-साथ कार्य करते हैं। घटना स्थल पर आने-जाने वाले आते रहते हैं। लोग बाग आते जाते रहते हैं। घटना स्थल पर इसका मकान नहीं था। वे तो डॉक्टर साहब के यहां गये थे। चौकीदार वहां पर हमेशा रहता हो तो उसे पता नहीं है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या-3 शब्बीर हुसैन ने सशपथ कथन किये हैं कि आज से तीन वर्ष पहले दिन के 12.30 बजे हाजी मोहम्मद हारूनजी बीमार थे उनको दिखाने के लिये उसकी मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर आरजे 20 7 एम 4280 पर बिठाकर डॉ.गोयल विज्ञान नगर ले गया था। उसने उसकी मोटरसाइकिल ताला लगाकर बाहर खड़ी कर दी थी। डॉक्टर को दिखाकर जब वे 20 मिनट बाद बाहर आये तब मोटरसाइकिल बाहर नहीं थी, चोरी हो गई थी। उसकी रिपोर्ट उसने थाना विज्ञान नगर मे करवाई थी जो प्रदर्श पी-2 है जिस पर ए से बी दो स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन आज वह साथ लेकर आया है जो प्रदर्श पी-3 है जिस पर उसका नाम पृष्ठ संख्या-4 पर ए से बी भाग मे दर्ज है। उसने उसकी मोटरसाइकिल अदालत के आदेश से थाना विज्ञान नगर से प्राप्त की थी। मोटरसाइकिल आर्टिकल-1 हाजिर अदालत है।

11. दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी-2 तहरीरी रिपोर्ट उसकी कलमी नहीं है। थाने पर ही लिखी गई थी। फिर कहा कि जाकिर ने लिखी

थी जो मोटर पार्टस का कार्य करता है। गाड़ी के जेरोक्स पेपर वह गाड़ी मे रखता है, असल पेपर घर पर थे। गाड़ी के इंजन नम्बर व चेसिस नम्बर उसे मुंह जबानी याद नहीं है। डॉक्टर गोयल के क्लिनिक के सामने वॉचमेन खड़ा नहीं रहता है लेकिन रोड पर आदमी चलते रहते हैं। डॉक्टर साहब के पास जो दिखाने ऑटो, कार वाले आते हैं वे सब बाहर खड़े रहते हैं, लेकिन उस समय कोई नहीं था।

12. अभियोजन साक्षी संख्या-4 मोहम्मद हारून ने सशपथ कथन किये हैं कि आज से लगभग दो साल पहले शब्बीर हुसैन उसे डॉक्टर एस.के.गोयल के यहां दिखाने ले गया था। शब्बीर हुसैन की हीरो होण्डा मोटरसाइकिल आरजे 20 7 एम 4280 थी। विज्ञान नगर डॉक्टर साहब के मकान के अन्दर दिखाने गये तो 10 मिनट बाद आये तो गाड़ी वहां पर नहीं मिली कोई चुराकर ले गया। उक्त गवाह से अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई जिरह नहीं की गई।

13. अभियोजन साक्षी संख्या-5 सूरज सिंह ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 04.8.2002 को थाना विज्ञान नगर में एएसआई के पद पर तैनात था। उस दिन थाना इंचार्ज ने मुकदमा नं.-451/2001 धारा 379 भादसं. की पत्रावली वास्ते तफ्तीश उसे दी थी। दौराने तफ्तीश मुलजिम रमेशचंद व इलियास मोहम्मद को जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तारी क्रमशः प्रदर्श पी-5 व प्रदर्श पी-6 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी मुलजिमान के हस्ताक्षर हैं। गिरफ्तारशुदा मुलजिम रमेशचंद ने उसे स्वेच्छापूर्वक सूचना दी कि उसने व इलियास ने एक मोटरसाइकिल विज्ञान नगर से चुराकर उसके मकान भवानीमण्डी में रखी है जो चलकर बता सकता है। फर्द सूचना प्रदर्श पी-7 पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। इलियास मोह. द्वारा भी उसे सूचना दी थी कि उसने व रमेशचंद ने एक मोटरसाइकिल रमेश के मकान भवानीमण्डी रख रखी है जिसे चलकर बरामद करा सकता है। फर्द सूचना प्रदर्श पी-8 है जिस पर ए से बी उसके व सी से डी मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। मुताबिक सूचना दोनों मुलजिमान को साथ लेकर भवानीमण्डी पहुंचे जहां मुलजिमान ने आगे-आगे चलकर रमेश के मकान में रखी मोटरसाइकिल निकालकर पेश की जिसे मुकदमा हाजा में जब्त की गई। फर्द जब्ती प्रदर्श पी-9 पर ए से बी उसके व सी से डी व ई से एफ मुलजिम के हस्ताक्षर हैं। नक्शा मौका बरामदगीस्थल प्रदर्श पी-10 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। तफ्तीश से मुलजिम रमेश व इलियास के विरूद्ध धारा 379 भादसं. का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली एसएचओ को सुपुर्द की।

14. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि फरियादी द्वारा मोटरसाइकिल चुराने का हुलिया बताया या नहीं इसकी तफ्तीश उसने नहीं की। पहले वाले आईओ. को पता होगा। तफ्तीश मिली उससे पहले पत्रावली पर मुलजिमान के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं थी। भवानीमण्डी पुलिस ने

वहां के थाने में पकड़ा था। मुकदमा नं.-176/2002 धारा 379 भादसं. भवानीमण्डी में पकड़ा था। उस प्रकरण की तफ्तीश किस अधिकारी द्वारा की जा रही थी पता नहीं है। उसने उस अधिकारी के बयान इस पत्रावली में नहीं लिये। जहां से मोटरसाइकिल बरामद की वहां आगे बरामदा था, पीछे कितने कमरे थे पता नहीं है। वह इलियास का मकान नहीं था। इलियास उस मकान में नहीं रहता था। यह गलत है कि रमेश व इलियास ने मोटरसाइकिल चुराने की सूचना नहीं दी और उसने प्रदर्श पी-6 व प्रदर्श पी-5 गलत बनाई। उन्होंने दोनों मुलजिमान को कोटा जेल से प्राप्त किया था। प्रदर्श पी-9 फर्द जब्ती में जो दो गवाह हैं, पुलिसकर्मी हैं क्योंकि कोई स्वतंत्र गवाह तैयार नहीं हुये। दिनांक 05.8.2002 को दोनों गवाह उसके अधीन कार्यरत थे। विज्ञान नगर से भवानीमण्डी की दूरी 100 किमी. से ज्यादा है। ट्रेन से डेढ़ घण्टा लगता है। वे जब्ती के लिए किस साधन से गये याद नहीं है। ट्रेन से गये या सरकारी वाहन से याद नहीं है। ट्रेन से जाते हैं तो वारन्ट लेना पड़ता है। कभी-कभी टिकिट लेकर भी चल जाते हैं। वारन्ट या टिकट की प्रति पत्रावली में नहीं है। प्रदर्श पी-9 में यह अंकित नहीं है कि कानूनी पेचीदगी की वजह से कोई तैयार नहीं हुआ। इस बाबत उसके द्वारा अलग से भी कोई फर्द नहीं बनाई गई।

15. अभियोजन साक्षी संख्या-6 हेमराज ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 05.8.2002 को वह विज्ञान नगर में कानि. के पद पर तैनात था। एक मोटरसाइकिल चोरी गई थी जिसमें मुल.रमेश व इलियास को सूरज सिंह एएसआई ने गिरफ्तार किया था। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल भवानीमण्डी में होना बताया। मुलजिमों को साथ लेकर दिनांक 05.8.2002 को वह, सूरजसिंह एएसआई,राजेश कानि. भवानीमण्डी पहुंचे जहां पर रमेश के मकान से एक मोटरसाइकिल हीरो होण्डा काले रंग की बिना नम्बरी जप्त की गई। जिसे लेकर विज्ञान नगर थाना आये। फर्द जप्ती व बरामदगी मोटरसाइकिल प्रदर्श पी-9 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी-10 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं।

16. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि बरामदगी के दोनों गवाहान पुलिसकर्मी हैं एवं बरामदगी के समय भवानीमण्डी थाने से व मुखबिर गवाह नहीं बुलाया। यह सही है कि रवानगी की रपट की प्रति पत्रावली पर नहीं है लेकिन रोजनामचा में रपट डाली जाती है। मकान की कुन्दी लगी हुई थी ताला नहीं था। मकान पर कोई था या नहीं याद नहीं है। मोटरसाइकिल जहां रखी थी उस कब्जे के स्वामित्व की सूची आईओ ने नहीं बनाई। यह सही हे कि दोनों मुलजिमान के मकान अलग-अलग हैं एवं इलियास के मकान से कोई चीज बरामद नहीं हुई। यह गलत है कि वह भवानीमण्डी नहीं गया हो और थाने पर ही साईन कर दिये हों।

17. अभियोजन साक्षी संख्या-7 रामेश्वर परिहार ने सशपथ कथन किये हैं कि दिनांक 11.9.2001 को वह थाना विज्ञान नगर में एसआई के पद पर तैनात था एवं थाना इंचार्ज था। उस दिन शब्बीर हुसैन पुत्र शमशुद्दीन निवासी श्रीपुरा ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की जिस पर मुकदमा नम्बर-451/2001 अन्तर्गत धारा 379 भादंसं. में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। प्रदर्श पी-2 तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 की पुश्त पर सी से डी कार्यवाही पुलिस और ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर अंकित हैं। दौराने अनुसंधान उसने शब्बीर हुसैन, हाजी मोहम्मद, आशय के बयान उनके कहेनुसार लेखबद्ध किये थे व घटना स्थल का नक्शा मौका गवाहान के समक्ष शब्बीर हुसैन की निशांदेही पर बनाया था। प्रदर्श पी-1 फर्द नक्शा मौका पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर, जी से एच स्थान पर फरियादी शब्बीर के हस्ताक्षर, ए से बी और सी से डी गवाहान के हस्ताक्षर और आई से जे हालात नक्शा मौका अंकित है। पत्रावली में मुलजिम का पता नहीं चलने पर एसएचओ के समक्ष अदम पता में पेश की थी। उसके बाद पत्रावली का पुनः अनुसंधान किया गया।

18. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने स्वीकार किया है कि उसकी तफ्तीश व गवाहान के बयान से मुलजिमान के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिली।

19. अभियोजन साक्षी संख्या-7 राजेश कुमार ने सशपथ कथन किये हैं कि वह दिनांक 05.8.2002 को थाना विज्ञान नगर पर कानित्र के पद पर पदस्थापित था। उस दिन प्रकरण संख्या-451/2001 में मोटरसाइकिल हीरो होण्डा स्पलैण्डर की जब्ती के लिए कानि.हेमराज, आईओ रामेश्वर परिहार जिला झालावाड़ भवानीमण्डी के सदर थाने से रमेश व इलियास में पूछताछ की और इनको लेकर रमेश के घर पर रमेश के पीछे-पीछे गये। रमेश के घर और कमरे में हीरो होण्डा मोटरसाइकिल रंग काला जिस पर आगे-पीछे कोई नम्बर प्लेट नहीं थी, वह रमेश के उस मोटरसाइकिल के प्रकरण 451/2001 के चोरी की बताने पर जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 के रमेशचंद व इलियास के समक्ष जप्त की। फर्द जप्ती प्रदर्श पी-9 पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में उसके समक्ष जप्ती स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी-10 बनाया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। मोटरसाइकिल को कस्टडी मे लिया गया और फिर वापस थाना आये।

20. दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि रमेश व इलियास को सदर थाना भवानीमण्डी से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करके माल बरामद करने के बाद ही विज्ञान नगर थाने में लाये थे। यह सही है कि जिस जगह से मोटरसाइकिल बरामद की वह राधेश्याम मंदिर की गली है वहां काफी बस्ती है। यह सही है कि परिहार आईओ ने जप्ती के लिए किसी बस्ती के व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया। सिर्फ वह और हेमराज थे। मकान खुला हुआ था और वे

गये उस समय मकान में कोई व्यक्ति नहीं था। यह गलत है कि उन्होंने मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की हो व समस्त कार्यवाही थाना विज्ञान नगर पर की हो। यह सही है कि उन्होंने थाने से रवानगी रपट व वापसी रपट पत्रावली में सम्मिलित नहीं किया।

21. पत्रावली पर आई साक्ष्य से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में गवाहान पी.डब्ल्यू.-3 शब्बीर हुसैन व पी.डब्ल्यू.-4 मोहम्मद हारून के बयानों से स्पष्ट है कि परिवादी जब हाजी मोहम्मद हारून को अपनी मोटरसाइकिल आरजे20 7एम 4280 पर बिठाकर डॉक्टर गोयल को विज्ञान नगर दिखाने गया और मोटरसाइकिल ताला लगाकर बाहर खड़ी कर अन्दर चला गया। जब डॉक्टर को दिखाकर वापस बाहर आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहां नहीं मिली, चोरी हो गई थी। इससे स्पष्ट है कि परिवादी की मोटरसाइकिल आरजे20 7एम 4280 चोरी हो गई थी। जिसकी रिपोर्ट उसके द्वारा प्रदर्श पी-2 दिनांक 11.9.2001 को पेश कर दी गई थी। पत्रावली पर स्पष्ट है कि पूर्व में पी.डब्ल्यू.-8 रामेश्वर परिहार ने उक्त रिपोर्ट पेश करने पर उसी के द्वारा अनुसंधान करने पर एक बार अदम पता में एफ.आर. पेश कर दी थी। तत्पश्चात् पुनः अनुसंधान किया गया। इस गवाह के बयान दिनांक 30.4.2015 को हुये थे। लेकिन रिजर्व रखने पर दिनांक 10.01.2019 को पुनः बयान लिये गये लेकिन अन्य अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू.-5 सूरज सिंह ने उक्त पत्रावली अनुसंधान हेतु मिलने पर अभियुक्त को जरिये फर्द प्रदर्श पी-5 गिरफ्तार कोटा जेल से किया और उसकी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला प्रदर्श पी-7 प्राप्त कर मोटरसाइकिल जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी-9 रमेश चंद के घर से बरामद करने का कथन किया है। यह गवाह जिरह में कहीं पर भी विचलित नहीं हुआ है। इस गवाह ने बरामदगी की ताईद की है। बरामदगी के अन्य गवाह पी.डब्ल्यू.-6 हेमराज व पी.डब्ल्यू.-7 राजेश कुमार हैं जिन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि सूरजसिंह एएसआई के साथ रमेशचंद के मकान भवानीमण्डी जिला झालावाड़ से उक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई थी जिसका नक्शा प्रदर्श पी-10 को भी उन्होंने साबित कराया है। रमेश चंद के मकान के आगे बरामदा और बरामदे के आगे ही उक्त मोटरसाइकिल खड़ी होना बताया है। यह सही है कि बरामदगी के दोनों गवाह पुलिसकर्मी हैं लेकिन मात्र पुलिसकर्मी होने के आधार पर ही गवाहों के बयानों पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

22. पत्रावली पर अनुसंधान अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू.-5 सूरज सिंह के बयान एवं बरामदगी के गवाहान पी.डब्ल्यू.-6 हेमराज व पी.डब्ल्यू.-7 राजेश कुमार के बयानों से अभियुक्त के मकान से चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इस संबंध में धारा 114(क) साक्ष्य अधिनियम इस प्रकार है :-

न्यायालय उपधारित कर सकेगा-

(क) कि चुराये हुये माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुये प्राप्त किया है।

23. अतः पत्रावली पर स्पष्ट है कि चोरीशुदा मोटरसाइकिल अभियुक्त की इत्तला के अनुसरा उसके मकान से ही बरामद हुई है और यह गवाह कहीं विचलित नहीं हुये हैं। अभियुक्त मोटरसाइकिल उसके कब्जे में किस प्रकार से आई, इसका कोई यथोचित कारण प्रकट नहीं कर सका है। अतः यह माना जायेगा कि अभियुक्त ने मोटरसाइकिल की चोरी की है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त मोटरसाइकिल अभियुक्त रमेशचंद व सहअभियुक्त इलियास दोनों की इत्तला के आधार पर अभियुक्त रमेशचंद के घर से बरामद की गई है। इलियास ने अपनी दोषसिद्धी को चेलेन्ज नहीं किया है अतः उसने उसके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी करने का अपराध साबित माना है। अभियुक्त यह नहीं बता पाया है कि यह मोटरसाइकिल उसके कब्जे में किस प्रकार से आई है। अतः यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्त ने ही चोरी की है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धी की गई है, वह यथोचित है। क्योंकि परिवादी पी.डब्ल्यू.-3 शब्बीर हुसैन की मोटरसाइकिल दिनांक 10.9.2001 को चोरी हुई थी और वही मोटरसाइकिल अभियुक्त के घर से बरामद हुई है। अतः अभियुक्त के खिलाफ धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विवेचन कर जो प्रमाणित पाये जाने का जो निष्कर्ष निकाला गया है, उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः वह निर्णय साक्ष्य एवं विधि पर आधारित होने से पुष्टि किए जाने योग्य है।

24. अतः अपीलार्थी अभियुक्त रमेशचंद की ओर से प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त के संदर्भ में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी अभियुक्त रमेशचंद के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत की गई दोषसिद्धि, की हद तक पुष्टि की जाती है।

25. दण्डादेश के सम्बन्ध में सुना गया। विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी-अभियुक्त का तर्क है कि प्रकरण के सहअभियुक्त इलियास मोहम्मद की अपील भी न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-5 कोटा द्वारा दिनांक 07.5.2024 को निर्णित की गई थी और उसे परीविक्षा का लाभ दिया गया था। प्रार्थी अपीलार्थी का भी इसी प्रकार का कृत्य है और लम्बे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है। उन्होंने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त अब काफी सुधर चुका है तथा खोये

हुये पैसे लौटाने पर उसे सर्टिफिकेट भी दिया गया है। अपीलार्थी अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अपीलार्थी अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए परिवीक्षा का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

26. जिसका विरोध करते हुए विद्वान् लोक अभियोजक का तर्क रहा है कि अपीलार्थी अभियुक्त रमेश चंद के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध साबित हुआ है। अतः विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्ड से अपीलार्थी अभियुक्त को दण्डित किए जाने का निवेदन किया।

27. मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। इस प्रकरण में मोटरसाइकिल चोरी का मामला है एवं मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी है। अपीलार्थी अभियुक्त लगभग 26 साल से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अपीलार्थी अभियुक्त रमेशचंद के विरुद्ध धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का आरोप साबित हुआ है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अपीलार्थी इस प्रकरण में 45 दिन पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में भी रहा है। अभियुक्त की ओर से उसे सम्मानित किये जाने का नगरपालिका मण्डल भवानीमंडी का प्रमाणपत्र भी पेश किया है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अन्वीक्षा एवं न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को देखते हुए मेरे विनम्र मत में अभियुक्त को तुरन्त कारावास के दण्ड से दण्डित न कर धारा 4 परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है एवं विधि अपेक्षित होने से अभियुक्त पर धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत 500/-रूपये अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

28. अतः अपीलार्थी अभियुक्त रमेश चंद के विरुद्ध विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दण्डादेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी अभियुक्त रमेश चंद को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के सिद्धदोष अपराध के लिए तुरन्त दण्डित करने के बजाय अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ देते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलार्थी अभियुक्त की ओर से आगामी एक वर्ष तक सद्व्यवहार एवं परिशांति बनाए रखने, अपराध की पुनरावृत्ति न करने व न्यायालय द्वारा आहूत करने पर दण्ड भोगने के लिए उपसंजात होने के सम्बन्ध में राशि दो हजार रुपए का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी राशि की एक सुदृढ़ प्रतिभूति प्रस्तुत कर सत्यापित करवाने पर, उसे इस प्रकरण में सदाचार की परिवीक्षा पर स्वतंत्र किए जाने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्त पर धारा 5 परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन व्यय के रूप में 500/-रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) की राशि अधिरोपित की जाती है। अभियुक्त की ओर से न्यायालय में नियमित उपस्थिति हेतु पूर्व में प्रस्तुत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

29. अपीलार्थी अभियुक्त धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के

प्रावधानान्तर्गत अपीलीय न्यायालय अथवा यथास्थिति उच्चतर न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/- रूपये की राशि का निजी बंध पत्र एवं इसी राशि का प्रतिभूति पत्र न्यायालय हाजा के संतोषप्रद प्रस्तुत करे।

(सत्यनारायण व्यास)

निर्णय व आदेश आज दिनांक 09.6.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण व्यास)

OM PRAKASH KHANDELWAL

Digitally signed by OM PRAKASH KHANDELWAL
Date: 2026.06.09 13:12:17 +0530